पौध सुरक्षा

पिस्सू भृंग (गैलेरूसिड भृंग) : यह कीट सुबह के समय नये पौधों की पत्तियों पर छेद बनाते हुए उन्हें खाता है तथा दिन में भूमि की दरारों में छिप जाता है। वर्षा ऋतु में इस कीट का गुबरैला जड की गाँठों में सुराग कर जड़ों में घुस जाता है तथा इनको पूरी तरह खोखला कर देता है। इस कीट के द्वारा जड की गाँठों के नष्ट होने पर मूंग तथा उडद के उत्पादन में क्रमशः 25% तथा 60% तक हानि देखी गई है। यह भृंग मोजेक विषाणु रोग (Bean Southern Mosaic Virus) का भी वाहक है।

नियंत्रण : मोनोक्रोटोफॉस 10 मि.ली./कि.ग्रा. बीज या डाईसल्फोटॉन 5 जी. 40 ग्राम/ किलो ग्राम बीज के हिसाब से बीजो को उपचारित करे। फोरेट 10 जी. की 10 कि.ग्रा. या डाईसल्फोटॉन 5 जी. 20 किलो ग्राम/हे. की दर से भुरकाव करना चाहिए।

पत्ती मोड़क कीट : इल्लियां पत्तियों को ऊपरी सिरे से मध्य भाग की ओर मोड़ती है। यही इल्लियां कई पत्तियों को चिपका कर जाला भी बनाती है। इल्लियां इन्हीं मुड़े भागों के अन्दर रहकर पत्तियों के हरे पदार्थ (क्लोरोफिल) को खा जाती हैं जिससे पत्तियां पीली सफेद पड़ने लगती है।

नियंत्रण : क्विनालफॉस दवा की 30 मि.ली. मात्रा/टंकी (15 लीटर पानी) मे तैयार कर इसे 12 टंकी प्रति एकड़ तथा पॉवर स्प्रेयर की 5 टंकी प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। आवश्यकता होने पर दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव से 15 दिन बाद करें।

एफिड : निम्फ तथा व्यस्क कीट बडी संख्या में पौधो की पत्तियों, तनों, कली तथा फूल पर लिपटे रहते है तथा फूलों का रस चूसकर पौधों को हानि पहुँचाते हैं।

नियंत्रण : फसल को डायमिथिएट 30 ई.सी. 2 मिली./ली. पानी के साथ घोल कर छिड़काव करें।

सफेद मक्खी : दोनो ही पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसते रहते हैं जिससे पौधे कमजोर होकर सूखने लगते हैं। यह कीट अपनी लार से विषाणु पौधों पर पहुंचाता है एवं ''यलो मौजेक'' नामक बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं।

नियंत्रण : पीले रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। फसल को डायमिथिएट 30 ई.सी. 2 मिली./ली. पानी के साथ घोल कर छिड़काव करें।

प्रमुख रोग

पीला चित्तेरी रोग : पीला चित्तेरी रोग में सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाक्स (आक्सीडेमाटान मेथाइल) 0.1 प्रतिशत या डाइमिथिएट 0.2 प्रतिशत प्रति हेक्टयर (2 मिली/लीटर पानी) तथा सल्फेक्स 3 ग्रा./ली. का छिड़काव 500–600 लीटर पानी में घोलकर 3–4 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करके रोग का प्रकोप कम किया जा सकता है।

रोगरोधी किस्में : पंत उर्द–19, पंत उर्द–30, पी.डी.एम. –1 (वसंत ऋतु), यू.जी. 218, पी.एस.–1, आई. पी.यू. 94–1 (उत्तरा) ,नरेन्द्र उर्द–1, उजाला, प्रताप उर्द 1, शेखर 3 (के.यू. 309) इत्यादि।

झुर्रीदार पत्ती रोग, मौजेक मोटल, पर्ण कुंचन

नियंत्रण : इमिडाक्लारोप्रिड 70WS 5 ग्रा./कि.ग्रा. की दर से बीजोपचार करें तथा डाईमिथिएट 30 ई.सी. / 2 मि.ली./ली. की दर से छिडकाव रोगवाहक के नियंत्रण के लिये करना चाहिए।

रूक्ष रोग, मेक्रोफोमिना ब्लाइट तथा चारकोल विगलन

नियंत्रण 1. बीजो को बुवाई पूर्व थायरम 3 ग्राम/किलो बीज से उपचार करना चाहिए। 2. कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम/ली. का छिड़काव रोगों के लक्षण दिखते ही करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार दो छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।

चूर्णी कवक

नियंत्रण : फसल पर घुलनशील गंधक 80डब्लयूपी@ 3 ग्रा./ली. या कार्बेन्डाजिम 50WP/ 1 ग्राम/ली. पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

रोगरोधी किस्में : सी.ओ.बी.जी.–10, एल.बी.जी.–648, एल.बी.जी.–17, प्रभा, आई.पी.यू.02–43, ए.के.यू.–15 और यू.जी.–301.

कटाई एवं मड़ाई : जब 70–80 प्रतिशत फलियां पक जाएं, हॅसिया से कटाई आरम्भ कर देना चाहिए। तत्पश्चात बण्डल बनाकर फसल को खलिहान में ले आते हैं। 3–4 दिन सुखाने के पश्चात बैलों की दायें चलाकर या थ्रेसर द्वारा भूसा से दाना अलग कर लेते हैं।

औसत उपज : अच्छी प्रकार प्रबंधन की गई फसल से 12–15 क्विंटल/हे. तक दाने की उपज मिल जाती है।

भण्डारण : धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद जब दानों में नमी की मात्रा 8–9% या कम रह जाये, तभी फसल को भण्डारित करना चाहिए।

अधिक उत्पादन लेने हेतु आवश्यक बिंदू

- ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई तीन वर्ष में एक बार अवश्य करे।
- पोषक तत्वो की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर ही दें।
- बुवाई पूर्व बीजोपचार अवश्य करे।
- खरीफ में बुवाई के लिये रिज–फरो विधि अपनाये।
- पीला मोजेक रोग रोधी किस्में: आई.पी.यू.–94–1 (उतरा), शेखर–3 (के.यू.–309), उजाला (ओ.बी. जे.–17), वी.बी.एन. (बी.जी.)–7, प्रताप उरर्द–1 का चुनाव क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार करे।
- पौध संरक्षण के लिये एकीकृत पौध संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण अवश्य करे।
- तकनीकी जानकारी हेतु अपने जिले/नजदीकी कृषि विज्ञान केन्द्र से संपर्क करें।
- .भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फसल उत्पादन (जुताई, खाद, बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई के साधनो), कृषि यन्त्रों, भण्डारण इत्यादि हेतु दी जाने वाली सुविधाओं/अनुदान सहायता/ लाभ की जानकारी हेतु संबधित राज्य /जिला/ विकास खण्ड स्थित कृषि विभाग से संपर्क करें।

अधिक जानकारी हेतु देखें–
एम–किसान पोर्टल– http://mkisan.gov.in/
फार्मर पोर्टल– http://farmer.gov.in/
किसान कॉल सेन्टर– टोल–फ्री नं – 1800–180–1551

लेखन एवं संपादन
डॉ ए. के. तिवारी
डॉ ए. के. शिवहरे
श्री विपिन कुमार

तकनीकी सहयोग
डॉ. संदीप सिलावट
श्री सतीश द्विवेदी

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

निदेशक
भारत सरकार
दलहन विकास निदेशालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एव किसान कल्याण विभाग
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल–462004 (म.प्र.)
ई–मेल – dpd.mp@nic.in
फेक्स – 0755-2571678,
दूरभाष – 0755-2550353/ 2572313
वेबसाइट – www.dpd.gov.in

IFFCO 50 1967 2017 पूर्णतः सहकारी स्वामित्व Wholly owned by Cooperatives स्वर्ण जयंती Golden Jubilee

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
राज्य कार्यालय–मध्यप्रदेश
ब्लाक–2, तृतीय तल, ''पर्यावास'', अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष: 0755- 2555883, 4036202, 4036217
वेबसाइट : http://www.iffco.in, Email: smm_bhopal@iffco.in

मुद्रक : कृषक जगत प्रींटिंग वर्क्स, भोपाल, दूरभाष : 9826255861

उड़द

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
दलहन विकास निदेशालय
छठी मंजिल, विन्ध्याचल भवन भोपाल - 462004 (म.प्र.)

सौजन्य से :

IFFCO 50 1967 2017 पूर्णतः सहकारी स्वामित्व Wholly owned by Cooperatives स्वर्ण जयंती Golden Jubilee

किसानों, कृषि एवं सहकारिता को समर्पित
गौरवमयी स्वर्ण जयंती वर्ष में
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
राज्य कार्यालय–मध्यप्रदेश
ब्लाक–2, तृतीय तल, ''पर्यावास'', अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

SOIL HEALTH CARD
स्वस्थ धरा, खेत हरा

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Per Drop, More Crop

उड़द

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में अल्पावधि (60–65 दिन) वाली दलहनी फसल उड़द की खेती करके किसानों की वार्षिक आय में आशातीत वृद्धि संभव है। साथ ही मृदा संरक्षण/उर्वरता को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके दाने में 24% प्रोटीन, 60% कार्बोहाईड्रेट व 1.3% वसा पाई जाती है। उड़द की ग्रीष्मकालीन फसल में पीत चितकबरा रोग भी खरीफ फसल की अपेक्षा कम लगता है।

फसल स्तर

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2015) में भारत का उर्द का कुल क्षेत्र 31.29 लाख हे0 व उत्पादन 18.29 लाख टन था। राज्यवार कुल क्षेत्रफल में हिस्सेदारी के हिसाब से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान (19.40%) था। इसके बाद उत्तर प्रदेश (17.88%) व आंध्रप्रदेश (11.69:) का स्थान आता है। जबकि उत्पादन के हिसाब से उत्तर प्रदेश (16.75%) का प्रथम स्थान व इसके बाद आंध्रप्रदेश (16.75%) एवं मध्य प्रदेश का स्थान (15.07%) का आता है। उपज के हिसाब से अधिकतम उपज बिहार (898 कि.ग्रा./हे.) में पायी गई। इसके बाद सिक्किम (895 कि.ग्रा./हे) व झारखण्ड (890 कि.ग्रा./हे.) का स्थान था। उर्द की राष्ट्रीय उपज 585 कि.ग्रा./हे. थी। सबसे कम उपज छत्तीसगढ़ राज्य (309 कि.ग्रा./हे.) है। इसके बाद उडीसा में (326 कि.ग्रा./हे.) और जम्मू–कश्मीर में (385 कि.ग्रा./हे.) पायी गई। (DES, 2015-16).

भूमि का चुनाव एवं तैयारी

उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में होती है। हल्की रेतीली, दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि जिसमे पानी का निकास अच्छा हो उड़द के लिये अधिक उपयुक्त होती है। पी.एच. मान 6.5–7.8 के बीच वाली भूमि उड़द के लिये उपयुक्त होती है। वर्षा आरम्भ होने के बाद दो– तीन बार हल या बखर चलाकर खेत को समतल करें। वर्षा आरम्भ होने के पहले बोनी करने से बढ़वार अच्छी होती है।

उन्नतशील प्रजातियां

पीला चितकबरा रोग रोधी प्रजातियॉ – वी.बी.एन.–6, वी.बी.जी.–04–008, को.–6, माश–114, माश–479, आई.पी.यू.–02–43, पंत उर्द–31, ए.डी.टी.–4, ए.डी.टी.–5, वांबन–1, एल.बी.जी.–20

खरीफ : के.यू. .99–21, मधुरा मिनीमु–217, के.यू.–309, ए.के.यू.– 15

रबी : ए.के.यू.–4, के.यू.–301, टी.यू.–94–2, आजाद ऊर्द–1, के.यू.–309 (के.यू.–92–1), शेखर–2 (के.यू.–300), मास–414, एल.बी.जी.–402

शीघ्र पकने वाली : पंत उर्द–40, प्रसाद, वी.बी.एन.–5

उपज अन्तर

सामान्यतः यह देखा गया है कि अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन की पैदावार व स्थानी किस्मों की औसत उपज में लगभग 22 % का अन्तर है। यह अन्तर कम करने के लिये अनुसंधान संस्थानों व कृषि विज्ञान केन्द्र की अनुशंसा के अनुसार उन्नत कृषि तकनीक को अपनाना चाहिए।

बुवाई का समय व तरीका

मानसून के आगमन पर या जून के अंतिम सप्ताह मे पर्याप्त वर्षा होने पर बुवाई करे । बोनी नारी से करे, कतारों की दूरी 30 सेमी. तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेमी. रखे तथा बीज 4–6 सेमी की गहराई पर बोये। ग्रीष्मकालीन में फरवरी के तीसरे सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक बुवाई करे ।

बीज की मात्रा

खरीफ में उड़द का बीज 12–15 किलो प्रति हेक्टेयर तथा ग्रीष्मकालीन बीजदर 20–25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिये।

बीजशोधन

मृदा एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्रम कार्बेन्डाजिम मिश्रण (2 :1) प्रति कि.ग्रा. बीज अथवा कार्बेन्डाजिम 2.5 ग्रा. प्रति कि.ग्रा. बीज की दर से शोधित कर लें। इसके बाद बीज को इमिडाक्लोप्रिड 70 डब्लू. एस. से 7 ग्राम प्रति कि.ग्रा. बीज के हिसाब से उपचारित करे। बीज शोधन कल्चर से उपचारित करने के 2–3 दिन पूर्व करना चाहिए।

बीजोपचार

राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट (250 ग्रा.) प्रति 10 कि.ग्रा. बीज के लिए पर्याप्त होता है। 50 ग्राम गुड़ या शक्कर को 1/2 लीटर जल में घोलकर उबालें व ठण्डा कर लें। ठण्डा हो जाने पर ही इस घोल में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर मिला लें। बाल्टी में 10 कि.ग्रा. बीज डाल कर अच्छी तरह से मिला लें ताकि कल्चर के लेप सभी बीजों पर चिपक जाएं उपचारित बीजों को 8–10 घंटे तक छाया में फेला देते हैं। उपचारित बीज को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। बीज उपचार दोपहर में करें ताकि शाम को अथवा दूसरे दिन बुआई की जा सके। कवकनाशी या कीटनाशी आदि का प्रयोग करने पर राइजोबियम कल्चर की दुगनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए तथा बीजोपचार कवकनाशी–कीटनाशी एवं राइजोबियम कल्चर के कम में ही करना चाहिए।

बुवाई विधि

बुवाई पंक्तियों में ही सीडड्रिल या देशी हल के पीछे नाई या चोंगा बांधाकर करते हैं। बोनी नारी विधि से करे। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापकम के कारण फसल वृद्धि कम होती है। कतारो की दूरी 30 से.मी. तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 से.मी. रखे तथा बीज 4–6 से.मी. की गहराई पर बोये।

अन्तरवर्तीय खेती

बसंतकालीन गन्ने के साथ अन्तरवर्तीय खेती करना लाभदायक रहता है। 90 से.मी. की दूरी पर बोई गयी गन्ने की दो पंक्तियों के बीच की दूरी में उडद की दो पंक्ति ली जा सकती है। ऐसा करने पर उड़द के लिए अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूरजमुखी व उर्द की अन्तरवर्तीय खेती के लिए सूरजमुखी की दो पंक्तियों के बीच उर्द की दो से तीन पंक्तियां लेना उत्तम रहता है।

उर्वरक

एकल फसल के लिए 15 से 20 कि.ग्रा. नत्रजन, 40 से 50 कि.ग्रा. फास्फोरस, 30 से 40 ग्राम पोटाश, प्रति हे. की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मृदा परीक्षण के आधार पर देना चाहिए। नाइट्रोजन एवं फासफोरस की पूर्ति के लिए 100 कि.ग्रा डी.ए.पी. प्रति है. प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों को अन्तिम जुताई के समय ही बीज से 5–7 से.मी. की गहराई व 3–4 से.मी. साइड पर ही प्रयोग करना चाहिए।

गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व

1. **गंधक (सल्फर)** : काली एवं दोमट मृदाओं में 20 कि.ग्रा. गंधक (154 कि.ग्रा. जिप्सम/फॉस्फो–जिप्सम या 22 कि.ग्रा. बेन्टोनाइट सल्फर) प्रति हैक्टर की दर से बुवाई के समय प्रत्येक फसल के लिये देना पर्याप्त होगा। कमी ज्ञात होने पर लाल बलुई मृदाओं हेतु 40 कि.ग्रा. गंधक (300 कि.ग्रा. जिप्सम/फॉस्फो–जिप्सम या 44 कि.ग्रा. बेन्टोनाइट सल्फर) प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
   अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन से सल्फर के प्रयोग से 11% अधिक उपज प्राप्त हुई है।
2. **जिंक :** जिंक की मात्रा का निर्धारण मृदा के प्रकार एवं उसकी उपल्बधता पर के अनुसार की जानी चाहिए।

- **<u>लाल बलुई व दोमट मृदा :</u>** 2.5 कि.ग्रा. जिंक (12.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट या 7.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट) प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
- **<u>काली मृदा :</u>** 1.5 से 2.0 कि.ग्रा. जिंक (7.5 से 10 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट) प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
- **<u>लैटेराइटिक,जलोढ एवं मध्यम मृदा :</u>** 2.5 कि.ग्रा. जिंक (12.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट या 7.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट) के साथ 200 कि.ग्रा. गोबर की खाद का प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए।
- **<u>उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली तराई क्षेत्रों की मृदा :</u>** बुवाई के पूर्व 3 कि.ग्रा. जिंक (15 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट या 9 कि. ग्रा. जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट) प्रति हैक्टर की दर से तीन वर्ष के अन्तराल पर देना चाहिए।
- **<u>कम कार्बनिक पदार्थ वाली पहाडी बलुई दोमट मृदा :</u>** 2.5 कि.ग्रा. जिंक (12.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट या 7.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट) प्रति हेक्टर की दर से एक वर्ष के अन्तराल में प्रयोग करना चाहिए।

3. **मैंगनीज :** मैंगनीज की कमी वाली बलुई दोमट मृदाओं में 2: मैंगनीज सल्फेट के घोल का बीज उपचार या मैंगनीज सल्फेट के 1: घोल का पर्णीय छिड़काव लाभदायक पाया गया है।
4. **मॉलिब्डेनम :** मॉलिब्डेनम की कमी वाली मृदाओं में 0.5 कि.ग्रा. सोडियम मॉलिब्डेट प्रति हेक्टर की दर से आधार उर्वरक के रूप में या 0.1% सोडियम मॉलिब्डेट के घोल का दो बार पर्णीय छिड़काव करना चाहिए अथवा मॉलिब्डेनम के घोल में बीज शोषित करें। ध्यान रहे कि अमोनियम मॉलिब्डेनम का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब मृदा में मॉलिब्डेनम तत्व की कमी हो।

सिंचाई

सामान्यतः खरीफ की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वर्षा का अभाव हो तो एक सिंचाई फलियॉं बनते समय अवश्य देना चाहिए। उडद की फसल को जायद में 3–4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम सिंचाई पलेवा के रूप में तथा अन्य सिंचाईयाग 15 से 20 दिन के अन्तराल में फसल की आवश्यकतानुसार करना चाहिए। पुष्पावस्था एवं दाने बनते समय खेत में उचित नमी होना अति आवश्यक है। स्प्रिंकलर सेट का उपयोग कर जल संवर्धन एवं फसल के उत्पादन में अप्रत्याशित बढ़त प्राप्त की जा सकती है।

खरपतवार नियंत्रण

बुआई के 25 से 30 दिन बाद तक खरपतवार फसल को अत्यधिक नुकासान पहुंचाते हैं यदि खेत में खरपतवार अधिक हैं तो 20–25 दिन बाद एक निराई कर देना चाहिए। जिन खेतों में खरपतवार गम्भीर समस्या हों वहां पर बुआई से एक दो दिन पश्चात पेन्डीमिथालीन की 0.75–1.00 किग्रा. सक्रिय मात्रा को 400–600 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर में छिड़काव करना लाभप्रद रहता है।

राज्यवार प्रमुख प्रजातियों का विवरण

राज्य	प्रजातियॉं खरीफ	रबी	बसंत/ग्रीष्म
आंध्रप्रदेश	पंत उर्द–31, आई.पी.यू. 2–43, एल.बी.जी. 685, एल.बी.जी. 625	टी.यू. 94–2, एल.बी.जी. 623, एल.बी.जी. 709, एल.बी.जी. 611	टी.यू. 94–2, एल.बी.जी. 623, एल.बी.जी. 709, एल.बी.जी. 611
आसाम	डब्लू.बी.यू.–108, आई.पी.यू.–94–1 (उत्तरा), पंत उर्द–30		
बिहार एवं झारखंड	पंत उर्द–31, डब्लू.बी.यू.–108, आई.पी.यू.–94–1 (उत्तरा), पंत उर्द–30, बिरसा उर्द–1		पंत उर्द–31, डब्लू.बी.यू.–109, के.यू. 91–2 (आजाद उर्द 1)
गुजरात	के.यू. 96–3, टी.पी.यू.–4, ए.के.यू.–4 (मेलघाट), जी.यू. 1, के.यू.जी. 479, यू.एच. 01, माश–414,		
हरियाणा	के.यू.–300 (शेखर 2), आई.पी.यू.–94–1 (उत्तरा),		
हिमाचल प्रदेश	पंत उर्द–31, पंत उर्द–40		
कर्नाटक	आई.पी.यू. 02–43, डब्लू.बी.यू.–108,	आई.पी.यू. 2–43, डब्लू.बी.यू.–108,	के.यू.–301, एल.बी.जी. 402 के. यू. 301
मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़	पंत उर्द–30, जवाहर उर्द 3, के.यू. 96–3, टी.पी.यू. 4, जवाहर उर्द 2, खरगोन 3	पंत उर्द–31	पंत उर्द–31
महाराष्ट्र	के.यू. 96–3, टी.पी.यू.–4, ए.के.यू.–4		(मेलघाट), ए.के.यू.–15
ओडीशा	आई.पी.यू. 02–43, डब्लू.बी.यू.–108, के.यू. 301	बी 3–8–8, ओ.बी.जी 17, माश 338	बी 3–8–8, ओ.बी.जी 17, माश 338
पंजाब	डब्लू.बी.यू.–108, आई.पी.यू. 94–1 (उत्तरा), माश–338, माश–414		के.यू.–300 (शेखर 2),के.यू.जी.–479
राजस्थान	पंत उर्द–31, डब्लू.बी.यू.–108, आई.पी.यू.94–1 (उत्तरा)		के.यू.–300 (शेखर 2), के.यू.जी.–479
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड	पंत उर्द–40, डब्लू.बी.यू.–108, आई.पी.यू.94–1 (उत्तरा), नरेन्द्र उर्द–1		के.यू.–300, डब्लू.बी.यू.–109, के.यू 91 (आजाद उर्द–2) ,के.यू.जी. –479, नरेन्द्र उर्द–1
तमिलनाडू	आई.पी.यू. 02–43, वांबन–4, वंबन–7	वंबन–3, टी.यू. 94–2,	वंबन–3, टी.यू. 94–2, वंबन–5, वंबन–2
पश्चिम बंगाल	पंत उर्द–31, डब्लू.बी.यू.–108, आई.पी.यू.94–1 (उत्तरा)	पंत उर्द–31, डब्लू.बी.यू.–109, के.यू. 91–2 (आजाद उर्द 1)	पंत उर्द–31, डब्लू.बी.यू.–109, के.यू. 91–2 (आजाद उर्द 1

स्त्रोतः– सीडनेट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार एवं भा.द.अनु.सं.–भा.कृ.अनु.प., कानपुर।